रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062026-273186
CG-DL-E-05062026-273186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2026/ज्येष्ठ 15, 1948
No. 398] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2026/JYAISTHA 15, 1948

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2026

सा.का.नि. 445(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात,:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) की अनुसूची-III, में –

(क) क्रम संख्या 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"4.	श्रेणी IV (सहायक निदेशक)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने की दशा में प्रतिनियुक्ति द्वारा जिन दोनों के न हो सकने की दशा में सीधी भर्ती द्वारा।	चयन	**प्रोन्नतिः** ऐसे वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी जिसने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (₹44900-142400) में उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और राजभाषा के सभी पहलुओं पर छह सप्ताह का अनिवार्य संस्थागत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो, जैसा भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो। (ii) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना की तिथि तक लेवल-7, में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ग्रेड के वर्तमान अधिकारियों के लिए अर्हक सेवा 3 वर्ष की होगी। **सीधी भर्ती :** (क) अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा समय-समय पर अनुसूची-5 में यथाउपबंधित रीति में परीक्षा स्कीम के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके पश्चात साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। (ख) सीधी भर्ती के लिए अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और अनुभव होना चाहिए।	**प्रतिनियुक्तिः** (i) केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र के ऐसे अधिकारी- (क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हो; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-9 (₹53100-167800) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 2 वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii)जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 (₹47600-151100) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 4 वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (₹44900-142400) या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 5 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) सहायक निदेशक के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु अनुसूची-V में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और अनुभव होना चाहिए।"

(ख) टिप्पण 3 में, "से अधिक न हो" शब्दों के पश्चात "तीन अथवा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) टिप्पण 4 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"टिप्पण 5: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख तक लेवल -7 में नियमित आधार पर पद धारण करने वाले वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी ग्रेड के वर्तमान अधिकारियों के लिए अर्हक सेवा 3 वर्ष होगी।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची VI में, ग्रेड-IV (सहायक निदेशक) के पद से संबंधित क्रम संख्या 4 के सम्मुख, "प्रत्येक अवसर पर" शब्दों के पश्चात "प्रतिनियुक्ति के मामलों को छोड़कर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 01/01/2025-रा.भा.(सेवा)]

डॉ. निधि पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368(अ), तारीख 1 मई, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) तारीख 7 मई, 2015 को प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् उनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 793(अ), तारीख 6 सितंबर, 2021 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2026

G.S.R. 445(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2015 namely:-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in Schedule III, -

(a) for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"4.	Grade-IV Assistant Director	By promotion failing which by deputation, failing both by direct recruitment.	Selection	**Promotion:** Senior Translation Officer in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with five years' regular service in the grade in the parent cadre or Department and having successfully completed mandatory institutional training of six weeks in all aspects of Official Language as may be prescribed by the competent authority. (ii) The qualifying service for existing officials in the grade of Senior Translation Officer in Level-7, holding the post on regular basis as on date of notification of the Central	**Deputation**: (i) Officers under the Government of India or State Government and Union territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the cadre/department; OR (ii) with two years' service in the grade after appointment thereto on a regular basis in Level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) or equivalent in the parent cadre or department; OR (iii) with four years' service in the grade after appointment thereto on a

				Secretariat Official Language Service (Group 'A' and Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2026 shall be three years. **Direct Recruitment:-** (a) The candidates shall be selected on the basis of written examination followed by interview to be conducted by the Union Public Service Commission as per the scheme of examination conducted by the Commission in the manner as provided in Schedule-V time to time. (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment as specified in Schedule-V.	regular basis in Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100) or equivalent in the parent cadre or department; OR (iv) with five years' service in the grade after appointment thereto on a regular basis in Level-7 in the revised pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment to the post of Assistant Director as specified in Schedule-V."

(b) in Note 3, after the words "not exceed", the words "three or" shall be inserted;

(c) after Note 4, the following note shall be inserted, namely:-

"Note 5: The qualifying service for the existing officials in the grade of Senior Translation Officer in Level-7 holding the post on regular basis as on the date of notification of these Rules shall be three years.".

3. In the said rules, in Schedule VI, against serial number 4 relating to the post of Grade IV (Assistant Director), after the words "on each occasion", the words ", except for deputation cases" shall be inserted.

[F. No.1/1/2025-O.L.(Service)]

Dr. NIDHI PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published *vide* notification number G.S.R.368(E) dated the 1st May, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) dated the 7th May, 2015 and were subsequently amended, *vide* notification number G.S.R. 793(E), dated the 6th September, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA